

बिहार गजट

असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1942 (श0) (सं0 पटना 970) पटना, बुधवार, 23 दिसम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

23 दिसम्बर 2020

एस०ओ० 206 दिनांक 23 दिसम्बर 2020— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, और वाणिज्य -कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 199, दिनांक 18 दिसंबर, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 960, दिनांक 18 दिसंबर, 2020 में प्रकाशित किया गया और वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 200, दिनांक 18 दिसंबर, 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 961, दिनांक 18 दिसंबर, 2020 में प्रकाशित किया गया का अधिक्रांत करते हुए, उन बातों के सिवाय जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिशों पर, आयुक्त, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त नियमावली कहा गया है) के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए, प्रत्येक कर अविध के लिए, समय सीमा का विस्तार ऐसी कर अविध के लिए उत्तरवर्ती महीने के ग्यारहवें दिन तक करते हैं:

परंतु उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) में परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही के लिए विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा का ऐसी कर अविध के उत्तरवर्ती महीने के तेरहवें दिन तक विस्तार किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी 2021 को प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं० विकी-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 2391)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डाॅ० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव। 23 दिसम्बर 2020

एस0ओ0 206 दिनांक 23 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिकी-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-2) 2391)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ० प्रतिमा, राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव। The 23rd December 2020

S.O. 206 dated the 23rd December 2020-- In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), and in supersession of the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 199 dated the 18th December 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 960, dated the 18th December 2020, and Commercial Taxes Department notification No. S.O. 200, dated the 18th December 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 961, dated the 18th December 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), for each of the tax periods, till the eleventh day of the month succeeding such tax period:

Provided that the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the said rules for the class of registered persons required to furnish return for every quarter under proviso to sub-section (1) of section 39 of the said Act, shall be extended till the thirteenth day of the month succeeding such tax period.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-2) 2391]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 970-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in